न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (उ0म0 रेलवे) झांसी।

उपस्थित– अरूण क्रान्ति यशोदास (उ0 प्र0 न्यायिक सेवा)

सरकार बनाम राजू जाटव उर्फ शंकर जाटव

फौजदारी वाद संख्या–2845/2022
अपराध संख्या–399/2022
धारा–380/411 भा0दं0सं0
थाना–जी0आर0पी/झांसी

दिनांक–19–09–2023

पत्रावली आज न्यायालय में प्रस्तुत हुई। अभियुक्त राजू जाटव उर्फ शंकर जाटव जेल से जेरे हिरासत न्यायालय में उपस्थित हुआ तथा उसके द्वारा जुर्म इकबाल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

अभियुक्त द्वारा कथन किया गया है कि वह स्वतंत्र इच्छा से, बिना किसी दबाव के अपराध की संस्वीकृति कर रहा है। अतः फौजदारी वाद संख्या–2845/2022 अपराध संख्या–399/2022 अन्तर्गत धारा–380/411 भा0दं0सं0 थाना– जी0आर0पी/झांसी के मामले में अभियुक्त राजू जाटव उर्फ शंकर जाटव संस्वीकृति के आधार पर दोष सिद्व किये जाने योग्य है।

आदेश

फौजदारी वाद संख्या–2845/2022 अपराध संख्या–399/2022 अन्तर्गत धारा–380/411, भा0दं0सं0 थाना–जी0आर0पी0/झांसी के मामले में अभियुक्त राजू जाटव उर्फ शंकर जाटव को संस्वीकृति के आधार पर दोष सिद्ध किया जाता है। दण्ड के प्रश्न पर सुनवाई हेतु पत्रावली पुनः प्रस्तुत हो।

दिनांक–19.09.2023

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
(उ0म0 रेलवे) झांसी।

दिनांक–19.09.2023

दण्ड के प्रश्न पर सुनवाई हेतु पत्रावली पुनः प्रस्तुत हुई। अभियुक्त तथा विद्वान अभियोजन अधिकारी को दण्ड के प्रश्न पर सुना गया। अभियुक्त द्वारा यह कथन किया गया है कि प्रार्थी गरीब व निर्धन परिवार से है और अपना मुकदमा लड़ने में असमर्थ है। अतः उसे न्यूनतम दण्ड से दण्डित किया जावे जब कि अभियोजन अधिकारी द्वारा अभियुक्त पर अधिकतम दण्ड अधिरोपित करने की याचना की गई है।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से यह ज्ञात हुआ कि अभियुक्त राजू जाटव उर्फ शंकर जाटव पर दिनांक 24.06.2022 को यात्रा के दौरान रनिंग ट्रेन नं0–22456 कालका, एक्सप्रेस के कोच सं0–एस/02, सीट नं0–17/20 से वादी मुकदमा की पत्नी का हैण्ड बैग, जिसमें दो जोड़ झाले सोने के, दो जोड़ पायल चांदी की, एक अंगूठी, नाक नथ, तथा ओप्पो कम्पनी का मोबाईल चोरी करने का आरोप है तथा बरामदगी भी दिखाई गई है। प्रार्थी/अभियुक्त गरीब व निर्धन परिवार से है और अपना मुकदमा लड़ने में असमर्थ है। प्रश्नगत प्रकरण में अभियुक्त दिनांक 19.09.2022 से लगातार जिला कारागार झांसी में निरूद्ध है।

अतः अपराध की प्रकृति, मामले के समस्त तथ्यों, अभियुक्त की निरूद्धी एवं उसकी आर्थिक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त राजू जाटव उर्फ शंकर जाटव को धारा–380 भा0दं0सं0 के अन्तर्गत एक वर्ष दस दिन के साधारण कारावास के दण्ड से तथा पॉच सौ रूपये के अर्थदण्ड से, धारा–411 भा0दं0सं0 के अर्न्तगत एक वर्ष दस दिन के साधारण कारावास के दण्ड से एवं पॉच सौ रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

फौजदारी वाद संख्या–2845/2022 अपराध संख्या–399/2022 अन्तर्गत धारा– 380/411 भा0दं0सं0 में अभियुक्त राजू जाटव उर्फ शंकर जाटव को धारा–380 भा0दं0सं0 के अन्तर्गत एक वर्ष दस दिन के साधारण कारावास के दण्ड से तथा पॉच सौ रूपये के अर्थदण्ड से, धारा–411 भा0दं0सं0 के अर्न्तगत एक वर्ष दस दिन के साधारण कारावास के दण्ड से एवं पॉच सौ रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने पर अभियुक्त को 10 दिन का अतिरिक्त साधारण कारावास भोगना होगा। अभियुक्त द्वारा जेल में बिताई गई अवधि सजा में समायोजित की जायेगी। अभियुक्त को निर्णय की एक प्रति निःशुल्क प्रदान की जाये। सभी सजायें साथ–साथ चलेंगी। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक–19.09.2023

(अरूण क्रान्ति यशोदास)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
उत्तर मध्य (रेलवे), झॉसी।
J.O. CODE U.P. 02370